

कार्यालय :- मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जिला-सिवनी (म.प्र.)

क्रमांक-84/सी.जे.एम./2024

सिवनी, दिनांक-16.07.2024

:: विविध आदेश ::

मैं तेज प्रताप सिंह, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सिवनी, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 12 एवं 13 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, श्रीमती श्वेता परते तिवारी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी लखनादौन, जिला-सिवनी के दिनांक-18.07.2024 से 13.01.2025 (कुल- 180 दिवस) तक प्रसूति अवकाश पर जाने के फलस्वरूप, पूर्व में जारी आपराधिक कार्य विभाजन पत्रक वर्ष-2024, दिनांक-27.04.2024 में निम्नानुसार संशोधन समाविष्ट करता हूँ :-

1. आपराधिक कार्य विभाजन पत्रक वर्ष-2024 के क्रमांक-13 को विलोपित किया जाकर, उक्त न्यायालय के समस्त प्रभार कंडिका-14(श्रीमती सुमित्रा ताहेड़ जे.एम.एफ.सी. लखनादौन) की न्यायालय में समाविष्ट किए जाते हैं।
2. आपराधिक कार्य विभाजन पत्रक वर्ष-2024 के परिशिष्ट-"अ"(धारा 164 द. प्र.सं. के अधीन संस्वीकृतियों एवं कथन) के क्रमांक-9, 10, 11 एवं 12 को संशोधित कर निम्नानुसार समाविष्ट किया जाता है-

क्र0	थाना का नाम	प्रथम प्रभार	द्वितीय प्रभार	तृतीय प्रभार
9	आदेगांव एवं लखनादौन	सुश्री सुमित्रा ताहेड़, JMFC Lakhnadon	सुश्री अपूर्वा ताम्रकार, JMFC Lakhnadon	रिक्त
10	छपारा एवं किंदरई	सुश्री सुमित्रा ताहेड़, JMFC Lakhnadon	श्रीमती प्रेमलता बोराणा, JMFC Lakhnadon	रिक्त
11	थाना धूमा एवं घंसौर तथा मुख्यालय लखनादौन के समस्त थाने के पॉक्सो से संबंधित	सुश्री अपूर्वा ताम्रकार, JMFC Lakhnadon	श्रीमती प्रेमलता बोराणा, JMFC Lakhnadon	रिक्त
12	थाना धनौरा तथा मुख्यालय लखनादौन एवं घंसौर के समस्त थाने के अजाक से संबंधित	सुश्री सुमित्रा ताहेड़, JMFC Lakhnadon	श्रीमती प्रेमलता बोराणा, JMFC Lakhnadon	रिक्त

3. आपराधिक कार्य विभाजन पत्रक वर्ष-2024 के परिशिष्ट-"ब" के क्रमांक-8 के प्रथम प्रभार एवं क्रमांक-9 के तृतीय प्रभार से "श्रीमती श्वेता परते तिवारी, जे.एम.एफ.सी. लखनादौन" का नाम विलोपित किया जाता है। इसी तरह क्रमांक-10 के तृतीय प्रभार से एवं क्रमांक-11 के द्वितीय प्रभार से "श्रीमती श्वेता परते तिवारी, जे.एम.एफ.सी. लखनादौन" का नाम विलोपित किया जाता है।

4. आपराधिक कार्य विभाजन पत्रक वर्ष-2024 के चार्ज प्रभार क्रमांक-14 को विलोपित किया जाता है।

नोट:-यह कार्य विभाजन आदेश दिनांक-18 जुलाई 2024 से प्रभावशील रहेगा।
शेष प्रभार पूर्ववत् रहेंगे।



सही/-
(तेज प्रताप सिंह)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
सिवनी(म.प्र.)

“माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय द्वारा अनुमोदन पश्चात्”

प्रतिलिपि:—

पृ०क० / 84 / सी०जे०एम० / 2024

सिवनी, दिनांक —16.07.2024

1. माननीय कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, सिवनी की ओर सादर सूचनार्थ।
2. निष्पादक लिपिक, न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सिवनी।
3. श्रीमति प्रेमलता बोराना, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी लखनादौन, जिला—सिवनी(म.प्र.)
4. सुश्री अपूर्वा ताम्रकार, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी लखनादौन, जिला—सिवनी(म.प्र.)
5. सुश्री सुमित्रा ताहेड़, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी लखनादौन, जिला—सिवनी(म.प्र.)
6. निष्पादन लिपिक, न्यायालय—श्रीमती श्वेता परते तिवारी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी लखनादौन, जिला—सिवनी(म.प्र.)
7. अध्यक्ष, अधिवक्ता संघ लखनादौन, जिला—सिवनी(म.प्र.) की ओर सूचनार्थ।



(तेज प्रताप सिंह)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
सिवनी(म.प्र.)